न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद स्थान– बस्ती
मूलवाद सं0 868/1996
विद्यावती बनाम सीताराम

31.01.2018

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज प्रार्थनापत्र 74क2 के निस्तारण हेतु नियत है।

प्रार्थनापत्र 74क2 वादी द्वारा इस आशय का दिया गया है कि प्रतिवादी ने अपने वादोत्तर में यह कहा है कि प्रस्तुत वाद विद्यावती द्वारा नहीं दाखिल किया गया है, बल्कि इम्पोस्टर द्वारा दाखिल किया गया है। वादिनी ही विद्यावती है और वादिनी ने ही प्रस्तुत वाद दाखिल किया है। दौरान तैयारी मुकदमा प्रतिवादीगण के उक्त गलत तथ्य की जानकारी दिनांक 03.12.2017 को हुई। इसलिए प्रार्थनापत्र संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थनापत्र पर अंकित तथ्यों के प्रकाश में वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रार्थना पत्र 74क2 वादी द्वारा, वादपत्र में संशोधन करने में करने के आशय से दिया गया है। प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है। संशोधन प्रार्थनापत्र के स्वीकार किए जाने से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न ही कोई नया केस सेटअप होगा, बल्कि वाद बाहुल्यता कम होगी। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थनापत्र 74क2 न्यायहित में हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 74क2 मु0 50/– रूपए हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अंदर दस दिन करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर/अतिरिक्त वादबिन्दु दिनांक 07.03.2018 को पेश हो।

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती

वादी द्वारा आपत्ति कागज सं0 37ग दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि दरख्वास्त के द्वारा जो कागजात एडमिट करने की प्रार्थना किया गया है वे सभी कागजात अदालत का ध्यान वादग्रस्त दस्तावेज बैनामा की त्रुटियों एवं अवैधानिकता से हटाने तथा अपनी कमियों को छिपाने के लिए दिए जा रहे हैं, जो लायक यकीन नहीं है। प्रतिवादी द्वारा दाखिल किए जा रहे सबूत मुकदमे में मौके की वस्तुस्थिति को छिपाने तथा मुकदमे में अनावश्यक तूल पैदा करने के लिए दाखिल किये गये हैं। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र 33ग2 दाखिल कर नकल वादपत्र मूलवाद सं0 466/1996, नकल वादोत्तर 466/1996, नकल निर्णय दिनांक 25.05.2000 मूल वाद सं0 466/1996, नकल डिक्री मूलवाद सं0 466/1996, नकल बयान अयोध्याप्रसाद, नकल दस्तावेज बैनामा दिनांक 17.04.1998, नकल दस्तावेज बैनामा दिनांक 18.05.2015, नकल दस्तावेज बैनामा दिनांक 15.11.1994, नकल आर्डर शीट सिविल प्रकीर्ण अपील सं0 88/2012, नकल कागज सं0 35ग, नकल सहमति पत्र द्वारा कस्तूरबा देवी, को पत्रावली पर दाखिल किये जाने की अनुमति चाही गयी है। विधि का यह सिद्धान्त है कि वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुण–दोष के आधार पर किया जाए। उपरोक्त दस्तावेजों के स्वीकार किये जाने से वाद के प्रभावी न्याय निर्णय में सहूलियत होगी एवं वाद बाहुल्यता कम होगी। चूंकि कागजात बहुत लेट स्टेज पर दिए जा रहे हैं, अतः प्रार्थनापत्र 33ग2 न्यायहित में हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 33ग2 मु0 100/– रूपए हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। संलग्न कागजात सबूत पत्रावली पर शामिल मिशिल किया जाता है। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर/रिबटल दिनांक 07.02.2018 को पेश हो।

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।